प्रकरण संख्या 20/2024 राजेश बनाम समर्थ ईटेबल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वांगरोदा, तहसील मावली में प्रार्थी के खाते की आराजी नंबर 1426/845 रकबा 2.5550 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में मुख्य सड़क पर आने–जाने के लिए विपक्षी संख्या 1 से 7 की आराजी नंबर 1171/819 रकबा 0.4047 हैक्टर, आराजी नंबर 818 रकबा 0.6070, आराजी नंबर 1197/819 रकबा 0.6475 हैक्टर भूमि में से है। उक्त भूमि में कच्चा रास्ता बना हुआ है, जिससे प्रार्थी अपनी भूमि पर आता जाता है, परन्तु राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण आवागमन में दखलन्दाजी करते हैं। अतः प्रार्थी की खाते की आराजी नंबर 1426/845 में आने–जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 से 7 की आराजी नंबर 1171/819, 818, 1197/819 भूमि में से 39 फिट चौड़ा रास्ता कायम किया जावे। विपक्षी संख्या 2 से 7 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी, जबकि विपक्षी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का विपक्षी संख्या 1 की भूमि में से आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है, बल्कि अन्य आराजी में आने–जाने का रास्ता विद्यमान होकर प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी रास्ते की आड़ में विपक्षी संख्या 1 की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 21.06.2024 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 23.07.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:20 IST
Reason: SelfAttested

ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कल्पित जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता विद्यमान होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनका कोई हवाला अपने निर्णय में नहीं दिया है। प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या उक्त आराजी में कृषि कार्य नहीं करते हैं, जो उनके नाम व पते से ही स्पष्ट है। प्रार्थी LLP की तरफ से अधिकृत हैं अथवा नहीं इस बाबत् उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा कृषि कार्य किये जाने का कोई प्रमाण नहीं है। पेशी दिनांक 18.06.2024 से पूर्व ही दिनांक 10.06.2024 नियत कर दी गयी है तथा विपक्षी संख्या 2 से 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गयी है, जो विधि सम्मत नहीं है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गयी है। मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी मौका रिपोर्ट में जानबूझकर उक्त तथ्य को छुपाया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.06.2024 अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार मावली से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ही रास्ते बाबत् आदेश पारित किया गया है। उक्त रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 7 में वैकल्पिक रास्ते का कोई हवाला नहीं है, बल्कि अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट की यह आपत्ति की पत्रावली दिनांक 18.06.2024 के स्थान पर उससे पूर्व ही 10.06.2024 को नियत कर विपक्षी संख्या 2 से 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:20 IST
Reason: SelfAttested

कर दी गयी। हमने आदेशिका का अवलोकन किया तो पाया कि विपक्षी संख्या 2 से 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अवश्य की गयी है, किन्तु उक्त दिनांक 10.06.2024 को अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 उपस्थित हुआ है तथा जवाब हेतु अवसर चाहा है तथा आगामी पेशी दिनिांक 14.06.2024 को अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उसकी इस आपत्ति का कोई औचित्य नहीं है। मौका रिपोर्ट की बिन्दु संख्या 5 में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1426/845 में जाने हेतु अन्य कोई राजस्व उपलब्ध नहीं होने का उल्लेख है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला रास्ता बताया गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि मौके पर पूर्व से कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ते बाबत् जो निर्णय पारित किया गया है, वह पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 121/2022 निर्णय दिनांक 21.06.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:20 IST
Reason: SelfAttested